न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पलसाना

सिड़ा कंवर बनाम भवानीसिंह वगैरह

मु० नं० - 187/2024

सही कंवर

3/3/25 पत्रावली में प्रार्थी ने फावड़े एवं बिट्टी का बाजत मूल वाद की बिट्टी करने हेतु पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी के वकील प्रार्थी को बिट्टी का पत्र पढ़ा जाकर मूल वाद की बिट्टी बिल्कुल गलत हुई है। अतः अब इस विवाद का पत्र कर आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस विवाद का पत्र की अंतिम तिथि पर वादिक विवाद समाप्त है। पत्रावली के साथ मुकदमा बैंकर नामंजूर कि जाकर है तथा वाद प्रति डाकिक डिक्री है।